रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17, 1976 (आषाढ 26, 1898)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17, 1976 (ASADHA 26, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमो तथा आदेशों और संकल्पो से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	511
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरो की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियो आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1159
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो, विनियमों, आदेशो और संकल्पो से सम्बन्धित अधिसूचनाए .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	975
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयको संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रो के प्रशासनो को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1909
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2497
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	213
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयो और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6091
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	605
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . . .	1573
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	113

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	511
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1159
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	..
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	975
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1909
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2497
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	243
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	6091
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	605
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1573
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	113

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1976

सं० 52-प्रेज/76—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा,
सहायक महानिरीक्षक,
संचार, बिहार,
पटना ।

श्री श्याम देव सिंह,
ड्राईवर कान्स्टेबल संख्या 540,
धनबाद (बिहार) ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

1973 में धनबाद में लूट और डकैती की लगातार घटनायें हुई थी । आशंका थी कि कोई अन्तर्राज्यीय गिरोह इस क्षेत्र मे सक्रिय है । धनबाद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा ने 3/4 दिसम्बर, 1973 को धनबाद शहर के प्रभावित क्षेत्र मे अवरोधन प्रबन्धों का निरीक्षण करने का निश्चय किया । जब उनका दल धनबाद, गोबिन्दपुर मार्ग पर गश्त लगा रहा था तो एक काली एम्बैसेडर कार गोबिंदपुर की तरफ से तेजी से आती हुई दिखाई दी । श्री सिन्हा ने अपने अधिकारियों से कार मे बैठे व्यक्तियों की भी जाच करने के लिए कहा । कार के चालक ने पुलिस अधिकारियों के इशारे की परवाह न करते हुए गाड़ी को बचाकर ले जाने की चेष्टा की । इससे पुलिस अधिकारियों का शक और भी बढ़ गया । श्री सिन्हा ने अपने आदमियों को पुलिस जीप में बैठने के लिये कहा और उसे स्वयं चलाते हुए एम्बैस्डर कार का जोरदार पीछा किया । जब दोनो गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी तो कार मे बैठे गुन्डों ने पुलिस पर गोली चलाई । श्री सिन्हा के आदेश पर सिपाही श्याम देव सिंह ने अपने रिवाल्वर से जवाब में गोली चलाई । गुंडों द्वारा चलाई गई एक गोली पुलिस जीप के सामने वाले शीशे के पार निकल गई । परन्तु श्री सिन्हा फिर भी अविचलित रहे और पीछा जारी रखा । कांस्टेबल श्याम देव सिंह ने फिर गोली चलाई जिसने गुंडों को कार के पिछले शीशे को तोड़ दिया । परन्तु पुलिस जीप में अचानक कोई खराबी पैदा हो गई और वह खड़खड़ा कर रुक गई । पुलिस ने उधर आती हुई एक टैक्सी का उपयोग कर कार का फिर पीछा करना शुरू कर दिया । उन्होंने एक दूसरी पुलिस टुकड़ी को सावधान करते हुए सड़क रोक कर गुंडो को रोकने के लिये कहा । कुछ आगे जाने पर उन्हे गुंडों की कार सड़क के किनारे खड़ी मिली जिसका पिछला दरवाजा खुला पड़ा था और बीच में एक गंडा लहुलुहान पड़ा था । यह विदित था कि उस की मृत्यु मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से हुई । पुलिस की टुकड़ी, जो हीरापुर के समीप ड्यूटी पर थी, दो व्यक्तियों को पकड़ने मे सफल हुई जिनमें से एक महिला भी थी ।

इस प्रकार श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंहा और श्री श्याम देव सिंह ने असाधारण साहस, चातुर्य और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 4 दिसम्बर, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 53-प्रेज/76—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री केशर सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 562,
12वी बटालियन,
मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

14 अक्तूबर, 1972 को लोहित डिवीजन के एक कुख्यात अपराधी ने, जो अरुणाचल प्रदेश और साथ ही असम राज्य के पड़ोसी क्षेत्रो मे भी ग्रामवासियो को सता रहा था, पिस्तौल दिखाकर एक ट्रक को, जो दुर्गा पूजा उत्सव की सवारियो को ले जा रहा था, रोक लिया । सवारियों ने अपनी जान बचाने के लिये भागना शुरू कर दिया और ट्रक का ड्राईवर डर के मारे बहुत घबरा गया ।

श्री केशर सिंह जो उस समय सुनपुरा चैक पोस्ट पर तैनात थे, शोर सुना और अपनी जान के खतरे और भरी हुई पिस्तौल की भी परवाह न करते हुए अपराधी पर टूट पडे और उसे गिरफ्तार कर लिया ।

इस प्रकार श्री केशर सिंह ने उत्कृष्ट वीरता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 14 अक्तूबर, 1972 से दिया जाएगा ।

स० 54-प्रेज/76—राष्ट्रपति, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नाकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है —

अधिकारियो के नाम तथा पद

श्री मान सिंह रावत,
पुलिस उप अधीक्षक,
19वी बटालियन
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल, मिजोरम ।

श्री बोधराज,
कास्टेबल,
19वी बटालियन
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
मिजोरम ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

21 अगस्त, 1975 को मिजोरम मे लुआगसुआल गाव के समीप 2 विरोधियो की गतिविधि के बारे मे सूचना मिली । विरोधियो को पकडने की दृष्टि से श्री रावत के नेतृत्व मे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की टुकडी ने मकानो की तलाशी शुरू की । एक मकान मे श्री रावत को एक चारपाई पर बैठे दो नवयुवक मिले जो सदिग्ध दिखाई देते थे । उनके परिचय के बारे मे प्रश्न करने पर उनमे से एक विरोधी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और श्री रावत पर दो गोलिया चला दी तथा दूसरा विरोधी खिडकी की तरफ हो गया । गोली चलने की आवाज सुनकर कास्टेबल बोध राज, श्री रावत की सहायता के लिए दौडे । इस बीच श्री रावत पिस्तौल वाले विरोधी पर टूट पडे और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली । कास्टेबल बोध राज दूसरे विरोधी से भिड गये जो खिडकी से कूद कर भागने का प्रयास कर रहा था । वे भी विरोधी के साथ कूद पडे और उसका पीछा किया किन्तु विरोधी उनकी पकड से बच निकलने मे सफल हो गया । ये विरोधी बाद मे श्री रावत द्वारा बच निकलने के सभावित मार्गों पर पहले ही से तैनात किए गए केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के जवानो की गोली से मारा गया ।

इस प्रकार श्री मान सिंह रावत और श्री बोध राज ने उत्कृष्ट साहस, दृढ सकल्प और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 21 अगस्त, 1975 से दिया जाएगा ।

स० 55-प्रेज/76—राष्ट्रपति, पश्चिम बगाल पुलिस के निम्नाकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चण्डी चरण बोस,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पश्चिमी दीनाजपुर,
पश्चिम बगाल ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

28 मार्च, 1972 की रात्रि को, श्री चण्डी चरण बोस के नेतृत्व मे एक पुलिस दल कुछ डाकुओ को जिनके द्वारा ग्राम श्रीनाथबटी मे डकैती डाले जाने की सम्भावना थी, पकडने के लिए नैधा बील की ओर बढा । आधी रात को अपराधियो का एक गिरोह नैधा बील मे एकत्रित हुआ और पूर्व की ओर बढा । पुलिस दल ने, जो घात लगा कर प्रतीक्षा कर रहा था, डाकुओ को ललकारा जिस पर उन्होने गोलिया चलानी शुरू कर दी । पुलिस दल ने जवाब मे गोली चलाई और डाकुओ का पीछा किया । श्री चण्डी चरण बोस गिरोह के बहुत निकट पहुच गये और उन्होने अपनी रिवाल्वर मे 6 गोलिया चलाई । उनके निदेशन पर पुलिस दल डाकुओ को घेर लेने मे सफल हो गया । गिरोह का नेता गोली से मारा गया तथा चार अन्य डाकुओ को गिरफ्तार कर लिया गया । उनके पास से कुछ हथियार तथा गोला-बारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड मे श्री चण्डी चरण बोस ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 28 मार्च, 1972 से दिया जाएगा ।

कृ० वालचन्द्रन,
राष्ट्रपति के सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनाक 2 जुलाई 1976

आदेश

स० 27/5/76-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिए भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग मे कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री डी० के० गुप्ता को प्राधिकृत करती है ।

2. केन्द्रीय सरकार श्री ए० डब्ल्यू० अन्मारी के पक्ष मे जारी किये गये दिनाक 22 नवम्बर, 1974 के आदेश सख्या 7/10/74 सी०एल०-2 को रद्द करती है ।

बी० बी० बारारी, अवर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1976

संकल्प

विषय:— राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ।

स० एफ० 8-17/75-वी० पी०-II—भारत सरकार ने सरकारी संकल्प सं० एफ० 14-9/62-एस० डब्ल्यू० 2, दिनांक 28 सितम्बर, 1962 में उल्लिखित पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित करने का निर्णय किया है, अर्थात्:—

"3. चेयरमैन के अलावा न्यासधारियों की सं० 18 से अधिक नहीं होगी । साहित्य अकादमी और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि होगा । वित्त तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालयों का भी एक-एक प्रतिनिधि होगा ।"

आदेश

यह आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ए-5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित कर दिया जाए ।

एस० के० चतुर्वेदी, निदेशक

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनाक 30 जून 1976

संकल्प

सं० एफ० 1/46/69-सी० एम० डब्ल्यू० वी०—समाज कल्याण विभाग के सकल्प संख्या एफ० 1-46/69-डेस्क 'वी' दिनांक 31 मार्च 1976, जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) अर्थात् उसके अध्यक्ष, सामान्य समिति के सदस्यों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यो का कार्यकाल 30 जून, 1976 तक जिसमे वह तारीख भी शामिल है, बढ़ाया गया था, के अनुक्रम मे भारत सरकार ने उक्त बोर्ड का कार्यकाल 1 जुलाई, 1976 से से 31 जुलाई, 1976 तक जिसमें वह तारीख भी शामिल है, कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत बढ़ा दिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मंत्री मण्डल सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री का सचिवालय ।
8. पत्र सूचना कार्यालय ।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
10. कम्पनी कार्य विभाग ।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर ।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों की अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ब्र० भू० सहाय, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th July 1976

No. 52-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Bihar Police :—

NAMES AND RANKS OF THE OFFICERS

Shri Tarkeshwar Prashad Sinha
Assistant Inspector General,
Communications, Bihar.
Patna.

Shri Shyamdeo Singh,
Driver Constable No. 540,
Dhanbad (Bihar).

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

There were a series of hold-ups and dacoities in Dhanbad in 1973. It was suspected that some inter-State gang was operating in the area. Shri Tarkeshwar Prasad Sinha, then Superintendent of Police, Dhanbad, decided to supervise the blocking arrangements of affected areas of Dhanbad town on December 3/4, 1973. When the party was on the round on Dhanbad-Gobindpur road, a black Ambassador car was seen rushing from the direction of Gobindpur. Shri Sinha asked his officers to check the car. The driver of the car did not heed the signal of police officers and tried to whisk away the vehicle. This deepened the suspicion of the police party. Shri Sinha asked his men to get into the police jeep and driving himself, gave a hot chase to the Ambassador car. The two vehicles raced at a break neck speed, when the police party was fired at by the miscreants from the Car. On the orders of Shri Sinha, Constable Shyamdeo Singh returned the fire from his revolver. A bullet fired by the miscreants pierced through the windscreen of the Police jeep but Shri Sinha remained undeterred and continued the chase. Constable Shyamdeo Singh fired again which broke the rear glass of the miscreants car. The Police jeep, however, suddenly developed some trouble and came to a grinding halt. The police were, however, able to avail of an approaching taxi and again started chasing the car. They also alerted another police picket to intercept the miscreants by blocking the road. Proceding forward, they found the car of the miscreants parked on the road with its rear door flung open and a miscreants with bleeding injuries lying in between. It was obvious that he had died of the police fire in the course of the encounter. The police detachment doing duty near Hirapur was able to apprehend two persons including a female.

Shri Tarkeshwar Prasad Sinha and Shymdeo Singh thus displayed extraordinary courage, tact and a high sense of devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th December, 1973.

No. 53-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Special Armed Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Keshar Singh,
Head Constable No. 562,
12th Battalion,

Madhya Pradesh Sepecial Armed Force.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 14th October, 1972, a notorious criminal of Lohit Division, who was causing harassment to the villagers both in Arunachal Pradesh and the neighbouring areas of Assam State stopped at pistol point a truck which was carrying passengers for Durga Pooja celebrations. The passengers started running for their life and the driver of the truck was terror stricken. Shri Keshar Singh who was on duty at Sunpura Check-post at that time heard the noise and unmindful of the risk involved to his life and in disregard of the loaded pistol, charged at the criminal and arrested him.

Shri Keshar Singh thus displayed conspicuous gallantry and a high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th October, 1972.

No. 54-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

NAMES AND RANKS OF THE OFFICERS

Shri Man Singh Rawat,
Deputy Superintendent of Police,
19th Battalion,
Central Reserve Police Force
Mizoram.

Shri Bodh Raj
Constable,
19th Battalion,
Central Reserve Police Force,
Mizoram.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 21st August, 1975, information was received about the movement of two hostiles near village Luangmual, in Mizoram. The Central Reserve Police contingent, led by Shri Rawat took up the search of the houses with a view to apprehend the hostiles. In one of the houses Shri Rawat came across two suspicious looking youngmen sitting on a cot. On being questioned about their identity, one of the hostiles whipped out his pistol and fired twice at Shri Rawat, while another one edged towards the window. Constable Bodh Raj who heard the sound of firing rushed to the assistance of Shri Rawat. Meanwhile, Shri Rawat had jumped at the hostile and was able to snatch the pistol from his hand. Constable Bodh Raj grappled with the other hostile who was trying to escape by jumping from the window. He also jumped with the hostile and chased him, but the hostile was able to slip out of his hold. This hostile, however was subsequently killed at the firing by the Central Reserve Police Force men posted earlier by Shri Rawat to cut off the possible routes of escape.

Shri Man Singh Rawat and Shri Bodh Raj thus displayed conspicuous courage, determination and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st August, 1975.

No. 55-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantary to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Chandi Charan Bose,
Sub-Inspector of Police,
West Dinajpur,
West Bengal.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the night of the 28th March, 1972, a police party headed by Shri Chandi Charan Bose proceeded to Nedha Beel in order to apprehend some dacoits who were likely to commit a dacoity in village Shrinathbati. At about midnight a gang of criminals assembled at Nedha Beel and then proceeded towards east. The Police party waiting in ambush challenged the dacoits who opened fire. The police party returned the fire and chased the dacoits. Shri Chandi Charan Bose went very close to the gang and fired six rounds from his revolver. Under his direction, the members of the police party were able to encircle the dacoits. The leader of the gang was shot dead and four other dacoits were arrested. Some arms and ammunition was also recovered from them.

In this encounter Shri Chandi Charan Bose exhibited conspicuous gallantary, leadership and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th March, 1972.

K. BALACHANDRAN,
Secretary to the President

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND A.R.

New Delhi, the 28th June 1975

CORRIGENDUM

No. 6/42/75-CS(I)—Corrigendum to this Department's Notification of even number dated 6th December, 1975 regarding Rules for the Assistants Grade Examination, 1976 published in the Gazette of India dated 6th December, 1975 in Part-I, Sec-1 is issued hereunder :-

Reference	For	Read
Page 855, note below rule 2(ii), line 1	"Ex-servicemen"	"Ex-Serviceman"
Page 856, rule 6(c)(i)	"belonging"	"belongs"
Page 856, col. 1, rule 6(c)(iv), line 3	"Indian"	"India"
Page 856, col. 2, rule 8, lines 5-6.	"endorsement"	"endorsement"
Page 857, rule 16, line 2	"candidate"	"candidates"
Page 857, col. 1, rule 18, line 8	"or exempted"	"or are exemp - ed"
Page 857, rule nos. 19 and 20	"(19) and (20)"	"19 and 20"
Page 857, Appendix I, sub-heading English & Welsh Universities	"Wales"	"Welsh"
Page 858 Appendix II, Note 2, line 2	"Devanagarl"	"Devnagari"
Page 859, Appendix III, (ii) (6), line 1	"subect"	"subject"
Page 859, Appendix III, (ii) (7), line 4	"Full stop may be deleted."	
Page 859, Appendix III, note under (ii) (7), line 1	"Comma may be deleted".	

K. B. Nair, Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 2nd July 1976

ORDER

No. 27/5/76-CL. II—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri D. K. Gupta, Senior Technical Assistant, Office of the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, in the Department of Company Affairs, Government of India for the purpose of the said section 209A.

2. The Central Government hereby revokes the authorisation issued in favour of Shri A. W. Ansari vide the order No. 7/10/74-CL.-II, dated the 22nd November, 1974.

B. B. BARURI, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 26th June 1976

RESOLUTION

SUBJECT :—*National Book Trust India.*

No. F. 8-17/70-BP. II—The Government of India have decided to substitute the following paragraph for the existing paragraph 3 in the Government Resolution No F 14-9/62-S.W 2, dated 28th September, 1962, namely :-

"3. The number of trustees excluding the Chairman shall not exceed 18. The Sahitya Akademi and the Ministry of Education and Social Welfare shall have one respresentative each There shall also be one representative each of the Ministries of Finance, and Information and Broadcasting."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Director, National Book Trust, India, A-5, Green Park, New Delhi-110016.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information

S K CHATURVEDI, Director

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 30th June 1976

RESOLUTION

No. 1-46/69-CSWB—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F-1-46/69-Desk 'B', dated the 31st March, 1976 extending the term of the office of the Central Social Welfare Board namely, the Chairman, members of the General Body and Members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company) till and including 30th June, 1976, the Government of India have been further pleased to decide that subject to Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the said Board be extended for a further period of one month commencing from 1st July, 1976 till and including 31st July, 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :

1. All Members of the Central Social Welfare Board
2. All the State Governments/U.Ts.
3. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
4. President's Secrt.
5. Planning Commission.
6. Lok Sabha/Rajya Sabha/Prime Minister's Secretariats.
7. Cabinet Secretariat.
8. Press Information Bureau, New Delhi.
9. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.
10. Department of Company Affairs, New Delhi.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, C.S.W.B New Delhi.
14. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general Information.

B. B. SAHAY, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976